"परिशिष्ट–अ"

विषय– **विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में शासन की व्यवस्था।**

सन्दर्भ– आपका ज्ञाप क्रमांक 718/आ. सा. स. 1-प्रशि. लेखा, दिनांक 12-1-88.

उपरोक्त विषय में चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :–

1. वाहन भत्ते की पात्रता उन समस्त विकलांग कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक डी. 2031/2574/26-2/82, दिनांक 3-4-82/3-5-82 एवं क्रमांक 1868/382/26-2/84, दिनांक 12-4-84 में उल्लेखित शर्तों के अधीन होगी चाहे वे जन्म से विकलांग हों अथवा जो बाद में बीमारी या दुर्घटना के कारण विकलांग हो गये हों। उक्त कर्मचारी शासकीय सेवा में आने के पूर्व विकलांग हुए हों अथवा शासकीय सेवा में आने के पश्चात्। उक्त स्थिति वाहन भत्ते की पात्रता को प्रभावित नहीं करती।

2. स्थायी विकलांगता से यह तात्पर्य है कि जो व्यक्ति विकलांग हुआ है, उसकी विकलांगता उपचार एवं आपरेशन से दूर होना सम्भव नहीं है एवं उसकी विकलांगता जीवनपर्यन्त रहेगी अर्थात् विकलांगता स्थायी है। अस्थायी विकलांगता से यह तात्पर्य है कि सम्बन्धित व्यक्ति की विकलांगता की ऐसी स्थिति है जो उपचार एवं आपरेशन से दूर हो सकती है। अतः उपचार एवं आपरेशन से सम्बन्धित विकलांग कर्मचारी की विकलांगता दूर हो जाने पर उसे वाहन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

विकलांगता चार प्रकार की होती है जो निम्नांकित प्रतिशत पर भारत सरकार के द्वारा परिभाषित की गई है–

(1)	स्थायी	100%
(2)	गम्भीर	75% एवं इससे अधिक
(3)	मोडरेट (सामान्य)	40% एवं इससे कम
(4)	माइल्ड (अल्प)	40% से कम

वाहन भत्ता विकलांग कर्मचारी के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से शासन के आदेशानुसार दिया जाना चाहिए। शासन आदेश जारी होने के दिनांक से वाहन भत्ता देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है बशर्ते विकलांग कर्मचारी ने ऐसी माँग की हो एवं विकलांगता सम्बन्धी मेडिकल सर्टीफिकेट के अनुसार विकलांगता शासनादेश जारी होने के दिनांक से या इसके पूर्व की हो। शासनादेश जारी होने के पूर्व वाहन भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[समाज कल्याण विभाग ज्ञाप क्र. 2249/244/26-2/88, दिनांक 7-7-1988]